

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2026 — ज्येष्ठ 29, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक FINACC-3602/187/2026-REGISTRATION.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सरिया तहसील में रजिस्ट्रीकरण उप-जिला सरिया बनाती है, जिसमें नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे, जो सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ उप-जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त सारंगढ़ उप-जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे और उसके भाग नहीं माने जायेंगे।

अनुसूची-1

प्रस्तावित नवीन उप-पंजीयक कार्यालय सरिया,
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सम्मिलित ग्रामों की सूची :-

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	वर्तमान सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	बार	वर्तमान जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की तहसील बरमकेला के राजस्व निरीक्षक वृत्त देवगांव

आगे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सरिया में एक कार्यालय स्थापित करती है, जिसका अभिनाम उप-रजिस्ट्रार कार्यालय सरिया होगा; और यह निर्देश देती है कि उप-जिले का गठन तथा उप-रजिस्ट्रार सरिया के कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 19/06/2026 को/से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जून 2026

क्रमांक FINACC-3602/187/2026-REGISTRATION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FINACC-3602/187/2026-REGISTRATION, अटल नगर रायपुर, दिनांक 15-06-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th June 2026

NOTIFICATION

No. FINACC-3602/187/2026-REGISTRATION.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, forms a Registration Sub-District of Sariya in Sariya Tahsil of Sarangarh-Bilaigarh District comprising of the villages specified in column (2) of the Schedule below which are included in and form part of the Sarangarh Sub-District of Sarangarh-Bilaigarh District but Shall hereafter cease to be included in and to form part of the said Sarangarh Sub-District.

SCHEDULE

List of villages included in the proposed new
Sub Registrar Office Sariya, District- Sarangarh-Bilaigarh :-

S.No.	Name of Villages	Present Limits
(1)	(2)	(3)
1.	BAR	Revenue Inspector Circle Devgaon of tahsil Baramkela of present District Sarangarh- Bilaigarh.

Further in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Registration Act, 1908, the State Government, hereby, establishes an office at Sariya to be styled as the office of Sub-Registrar Sariya; and directs that the formation of Sub-District and establishment of the office of the Sub-Registrar Sariya shall take effect on/from the date of 19/06/2026

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.